

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

मोहन पिता किशोर खटीक नि. शक्करगढ

बनाम

मोहन पिता ग्यारसा मीणा नि. ब्रज की डुंगरी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 759/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर य तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
25.10.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम शक्करगढ प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1782/189 रकबा 01.2301 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है जो कि प्रार्थी के साथ सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। अप्रार्थी खूखार एवं लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। प्रार्थी गरीब काश्तकार है। अप्रार्थी प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं एवं प्रार्थी द्वारा अपने खेत की मेर आदि की घास फसल आदि काटते समय लडाई झगडा करने को आमादा होते है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम शक्करगढ प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1782/189 रकबा 01.2301 है. की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	